संख्या— / XXXV-4/2020-21-1(14)/2018

प्रेषक,

गिरीश चन्द्र जोशी,
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

मुख्यमंत्री कार्यालय अनुभाग–4 देहरादून दिनांक : 04 जनवरी, 2021

विषय :–मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा की गयी घोषणा संख्या –911/2017 के क्रियान्वयन हेतु घोषणा मद से वित्तीय वर्ष 2019–20 में स्वीकृत धनराशि को चालू वित्तीय वर्ष 2020–21 में व्यय करने की अनुमति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–05/17–8(घो0सं0–911/2017), दिनांक 02 जुलाई, 2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र धारचूला हेतु की गयी **घोषणा संख्या–911/2017 "दारमा–व्यास–चौदास में ट्रैकिंग रूट के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की जायेगी"** के कियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2019–20 में शासनादेश संख्या 130/XXXV–4/2019–20–1(14)/2018, दिनांक 22 अगस्त, 2019 द्वारा स्वीकृत धनराशि रू0 74.22 लाख जो वन निक्षेप (एफ0डी0) में यथावत जमा है, को वित्तीय वर्ष 2020–21 में व्यय करने की अनुमति चाही गयी है।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त घोषणा के क्रियान्वयन हेतु अनुदान संख्या–03 के अन्तर्गत घोषणा मद से स्वीकृत धनराशि **रू0 74.22 (रू0 चौहत्तर लाख बाईस हजार मात्र)** लाख को चालू वित्तीय वर्ष 2020–21 में व्यय करने की अनुमति प्रदान की जाती हैं।

3– यह आदेश वित्त विभाग द्वारा दिनांक 15.12.2020 को प्रदान की गयी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(गिरीश चन्द्र जोशी)
उप सचिव।